"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 जून 2020 — आषाढ़ 3, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–23/2019/18.— पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थातः–

"**10. विवाद समाधान समिति.**– (1) पथ विक्रेताओं की शिकायतों के समाधान हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय में, अधिनियम की धारा 20 के अनुसार एक समिति गठित की जायेगी, जिसे जिला पथ विक्रेता विवाद समाधान समिति के नाम से जाना जायेगा।

(2) जिला पथ विक्रेता विवाद समाधान समिति में एक अध्यक्ष तथा राज्य शासन द्वारा मनोनीत दो सदस्य शामिल होंगे।

(3) जिला पथ विक्रेता विवाद समाधान समिति का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जो सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हो और जिसकी आयु मनोनयन के दिनांक को सड़सठ वर्ष से अधिक न हो।

(4) सदस्यों की आयु मनोनयन के दिनांक को सड़सठ वर्ष से अधिक नहीं होगी। सदस्यों में से एक सदस्य नगरपालिका सेवा का सेवानिवृत्त कर्मचारी होगा, जो कार्यपालन यंत्री की श्रेणी से निम्न का नहीं होगा तथा दूसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो राज्य शासन के मत में सामाजिक प्रतिष्ठा रखता हो:

परंतु यह कि सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य महिला होना चाहिये।

(5) जिला पथ विक्रेता विवाद समाधान समिति, स्थानीय नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी अन्य भवन में कार्यालय स्थापित करेगी। स्थानीय नगरपालिका, जिला पथ विक्रेता विवाद समाधान समिति के कार्यालय में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायेगी।

(6) जिला पथ विक्रेता विवाद समाधान समिति हेतु कार्यालयीन सहायक, राज्य शासन द्वारा नगरपालिकाओं में उपलब्ध जनशक्ति में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

(7) अधिनियम की धारा 20 की उप–धारा (2) के अधीन आवेदन प्ररूप–5 में प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) आवेदनों के निपटान हेतु जिला पथ विक्रेता विवाद समाधान समिति द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 68) के अधीन स्थापित जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा अपनाई जाती है। प्रत्येक आवेदन का निपटान, उसकी प्राप्ति तथा पंजीयन के पश्चात् तीस कार्य दिवस के भीतर करना होगा।

(9) पथ विक्रेता द्वारा जिला पथ विक्रेता विवाद समाधान समिति के किसी आदेश के विरूद्ध अपील, जिला मजिस्ट्रेट, जो अधिनियम की धारा 20 की उप–धारा (4) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी होगा, के समक्ष आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर की जायेगी। अपील के निपटान हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो कि उसके द्वारा राजस्व मामलों में अपनाई जाती है। परंतु यह कि अपील का निपटान, इसके दर्ज होने की तिथि से तीस कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा।

11. अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें.– (1) जिला पथ विक्रेता विवाद समाधान समिति का अध्यक्ष शासन से, बैठक के प्रत्येक दिन के लिये, एक हज़ार पांच सौ रूपये बैठक शुल्क तथा सात सौ पचास रूपये वाहन भत्ता प्राप्त करेगा।

(2) जिला पथ विकेता विवाद समाधान समिति का सदस्य शासन से, बैठक के प्रत्येक दिन के लिये एक हजार दो सौ रूपये बैठक शुल्क तथा पांच सौ रूपये वाहन भत्ता प्राप्त करेगा।

(3) राज्य शासन, अध्यक्ष या सदस्य की सेवायें निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकेगा :–

(क) यदि वह व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया गया हो;

(ख) यदि वह किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया हो, जिसमें राज्य शासन की दृष्टि में नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो;

(ग) यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का निवर्हन करने में अक्षम हो गया हो;

(घ) यदि उसने ऐसे रीति से वित्तीय या अन्य हित उपार्जित किया हो, जिससे उसके कर्तव्यों के निवर्हन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;

(ङ) यदि उसने अपने पद का दुरूपयोग इस रीति से किया हो, जिससे अध्यक्ष/सदस्य के रूप में उसका निरंतर कार्य करते रहना, जनहित के प्रतिकूल हो गया हो।

(4) उप–नियम (3) के खण्ड (घ) तथा (ङ) में उल्लिखित कारण से अध्यक्ष/सदस्य को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा, जब तक कि पूर्व निर्धारित रीति से विधिवत जांच न करायी गई हो।

(5) अध्यक्ष/सदस्य की सेवा की शर्तें एवं उनके कार्यकाल की अवधि को ऐसे पुनरीक्षित नहीं की जायेगी, जो उनके हित के विपरीत हो।

(6) अध्यक्ष अपना पद, मनोनयन की तिथि से तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिये धारण करेगा तथा प्रत्येक सदस्य अपना पद, मनोनयन की तिथि से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये धारण करेगा।"

2. प्ररूप–4 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"प्ररूप–5

(नियम 10 देखिये)

शिकायत/विवाद दर्ज करने हेतु आवेदन

(1)	आवेदक का नाम, पूरा पता तथा टेलीफोन नम्बर	
(2)	शिकायत/विवाद का संक्षिप्त विवरण	
(3)	अनुतोष की मांग का आधार	
(4)	चाहा गया अनुतोष	
(5)	आदेश पारित करने के पूर्व क्या आप व्यक्तिगत 'सुनवाई का अवसर चाहते हैं ? (हॉ/नहीं)	
(6)	संलग्न की गई दस्तावेजों की सूची, यदि कोई हो"	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 जून 2020

क्रमांक एफ 5–23/2019/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण मे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–23/2019/18 दिनांक 19–06–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 19th June 2020

NOTIFICATION

No. F 5-23/2019/18.— In exercise of the power conferred by Section 36 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (No. 7 of 2014), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After rule 9, the following shall be added, namely:-

"10.Dispute Redressal Committee.— (1) To redress grievances of the street vendors, there shall be a committee in every district headquarter, formed in terms of Section 20 of the Act, to be known as the District Street Vendor Dispute Redressal Committee.

(2) The District Street Vendor Dispute Redressal Committee shall consist of a Chairman and two members, to be nominated by the State Government.

(3) The Chairman of the District Street Vendor Dispute Redressal Committee shall be a person who is a retired Judicial Officer, and is not more than sixty-seven years of age as on the date of nomination.

(4) The members shall not be more than sixty-seven years of age as on the date of nomination. One of the members shall be a retired employee of the Municipal Services not below the rank of an Executive Engineer and another member shall be a person of social standing to the opinion of the State Government:

Provided that at least one of the members should be a woman.

(5) The District Street Vendor Dispute Redressal Committee shall set up office in any other building that the local Municipality may provide. The local municipality shall suitably furnish the office of the District Street Vendor Dispute Redressal Committee.

(6) The secretarial support for the District Street Vendor Dispute Redressal Committee shall be provided by the State Government on deputation basis out of the manpower available in the municipalities.

(7) An application under sub-section (2) of Section 20 of the Act must be submitted on Form-5.

(8) The District Street Vendor Dispute Redressal Committee shall follow the same procedure for disposal of applications as is followed by the District Consumer Forum set up under the Consumer Protection Act, 1986 (No.68 of 1986). Every application must be disposed of within thirty working days after it has been received and registered.

(9) An appeal against an order of the District Street Vendor Dispute Redressal Committee shall be made by the street vendor before the District Magistrate, who shall be as the local authority under sub-section (4) of Section 20 of the Act, within thirty days of the date of the order. The District Magistrate shall follow the same procedure for disposal of the appeal as is followed by him in revenue cases, provided that the appeal must be disposed of within the thirty working days from the date of its filing.

11. Terms of Service of the Chairman and Members.— (1) The Chairman of the District Street Vendor Dispute Redressal Committee shall receive from the Government a sitting fee of one thousand five hundred rupees and a conveyance allowance of seven hundred fifty rupees, for every day of sitting.

(2) A Member of the District Street Vendor Dispute Redressal Committee shall receive from the Government a sitting fee of one thousand two hundred rupees and a conveyance allowance of five hundred rupees, for every day of sitting.

(3) The State Government may terminate the services of a Chairman or a Member under the following circumstances:-

(a) If the person has been declared to be insolvent;

(b) If he has been convicted in any offence that, in the view of the State Government, involves moral turpitude;

(c) If he has become physically or mentally incapable of discharging his duties as Chairman / Member;

(d) If he has acquired financial or other interests in a manner that adversely effect on his discharge of duties;

(e) If he has misused his office in a manner that renders his continuance as Chairman / Member contrary to public interest.

(4) No Chairman/Member shall be removed from office for reason mentioned in clause (d) and (e) of sub-rule (3), until an inquiry has been duly conducted in a pre-disclosed manner.

(5) Condition of service Chairman/Member and their tenure shall not be revised to their detriment.

(6) The Chairman shall hold office for a period not exceeding three years from the date of nomination and every member shall hold office for a period not exceeding five years from the date of nomination."

2. After FORM-4, the following shall be added, namely:-

"FORM-5
[See Rule 10]

APPLICATION FOR FILING GRIEVANCE / DISPUTE

(1)	Name of the Applicant, with full address and telephone number	
(2)	Brief narration of the grievance/ dispute	
(3)	Grounds for seeking relief	
(4)	Relief Sought	
(5)	Do you want to be heard in person before an order is passed? [Yes/No]	
(6)	Copies of Documents enclosed, if any"	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.